Notified on 30/04/2010

म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

चतुर्थ एवं पंचम तल, विट्ठन मार्केट, भोपाल – 462 016

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल, 2010

क्रमांक 950/म.प्र.विनिआ/2010. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 (2) (h) एवं 181 (2) (zd) सहपठित धारा 36 एवं 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 जो दिनांक 8 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था, में निम्न संशोधन करता है :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 (प्रथम संशोधन)

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :** 1.1 **ये विनियम ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 (प्रथम संशोधन) {ARG-28 (I) (i) वर्ष 2010}"** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य में समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को उनके तत्संबधी अनुज्ञप्ति–प्राप्त क्षेत्रों में प्रयोज्य होंगे ।

1.3 ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रभावशील होंगे ।

2. **विनियम के खण्ड 27 में संशोधन :**

''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 के खण्ड 27.6 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

''27.6 आयोग के मतानुसार, विद्यमान कर्मचारियों के पेंशन अंशदान हेतु वांछित निधि अर्थात् केवल प्रत्येक वर्ष के चालू दायित्वों को एमपी ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, एमपी जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड तथा तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों की कर्मचारी लागत में अनुज्ञेय किया जाना चाहिए । आयोग, इस बीच अन्तर्वर्ती अवधि में वास्तविक पेंशन भुगतान तथा अन्य टर्मिनल प्रसुविधाएं, जैसे कि उपादान (ग्रेच्युटी) हेतु वांछित निधि अनुज्ञेय करता आ रहा है । पेंशन देयकों में द्रुत वृद्धि के साथ–साथ इसका खुदरा विद्युत दर (टैरिफ) पर उत्तरोत्तर प्रभाव बढ़ता जा रहा है । वास्तविक पेंशन भुगतान को अनुज्ञेय किये जाने की इस व्यवस्था को बनाए रखा जाना कठिन होता जा रहा है तथा निकट भविष्य में इसे विराम देना होगा । उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, कर्मचारियों के अनिधित पेंशन दायित्वों तथा टर्मिनल प्रसुविधाओं के संबंध में निम्न कार्यवाही की जानी चाहिए :–

(अ) पेंशनरों के पेंशन दायित्वों के अवधारण हेतु तथा एक ओर विद्यमान कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं हेतु तथा दूसरी ओर वित्तीय वर्ष 2010–11 से प्रारंभ होने वाले राजकोषीय वर्ष (Fiscal year) हेतु कार्यरत् कर्मचारियों हेतु एक जीवनांकिक विश्लेषण (acturial analysis) प्रत्येक वर्ष हेतु संचालित कराया जाए तथा इसके निष्कर्षों को आयोग को 28 फरवरी, 2010 तक प्रतिवेदित किया जाए । इस गतिविधि का प्रभार पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को सौंपा जाता है ।

(ब) इस अनिधित दायित्व (unfunded liability) हेतु योजना को अन्तिम रूप दिया जाए तथा राज्य शासन द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2010 तक टर्मिनल प्रसुविधा न्यास निधि (Terminal Benefit Trust Fund) हेतु निबंधन (terms) निर्धारित कर दिये जाएं । अन्तिम की गई योजना इस प्रकार की हो जो यह सुनिश्चित करे कि पूर्व के अनिधित दायित्व अन्ततः खुदरा विद्युत (टैरिफ) पर भार न बनें तथा योजना सभी स्टेकहोल्डर्स के लिये न्यायसम्मत हो ।

(स) चूंकि उपरोक्त (अ) तथा (ब) में दर्शाई गई कार्यवाही में और समय लगेगा, टर्मिनल प्रसुविधाओं हेतु निधि को अनुज्ञेय किये जाने हेतु विद्यमान व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु वास्तविक भुगतान आधार पर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की वार्षिक राजस्व आवश्यकता में चालू रखी जाएगी ।''

आयोग के आदेशानुसार

आयोग सचिव